कोहरे की आगोश में लेकसिटी

उदयपुर. नगर संवाददाता | झीलों की नगरी में आज कोहरे के आगोश में रही। पिछले दिनों से चल रहा ये क्रम आज जारी रहा लेकिन आज कोहरे का प्रभाव ज्यादा था। सबसे अहम बात यह है कि सुबह दस बजे तक भी कोहरे का असर दिखा और सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। गुरुवार की सुबह कोहरा छाया होने से सर्दी का असर भी ज्यादा लगा। सुबह सुबह दूध देने वाले से लेकर स्कूल स्टाफ से लेकर बच्चों को बड़ी मुश्किलें हुई। स्कूल बसों के चालकों ने गाड़ियों की लाइट जलाए रखी।

शहर में रहा कोहरे का प्रभाव

करीब चार दिन पहले हुई बारिश के बाद कोहरे का प्रभाव रोजाना रहने लगा लेकिन आज कोहरे का असर ज्यादा था। तड़के से लेकर सुबह 9 बजे तक कोहरे के आगोश में शहर लिपटा हुआ था और उसके बाद भी इसका प्रभाव था।

शहर को जोड़ने वाले उदयपुर-नाथद्वारा, डबोक-उदयपुर, उदयपुर-पिंडवाड़ा, उदयपुर-अहमदाबाद और उदयपुर-झाड़ोल हाइवे से लेकर शहर के अंदर की मुख्य सड़कों से गुजरने वाले चारपहिया वाहनों की रफ्तार भी कम थी और चालकों ने गाड़ियों के लाइटें जला रखी थी। यहीं स्थिति दुपहिया वाहनों की भी थी। तेज सर्दी के कारण स्कूल के बच्चे धूजते हुए स्कूल पहुंचे। **फोटो : ऋषभ जैन**

अपराध/हादसा

डम्पर की टक्कर से मैकेनिक की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में डम्पर की टक्कर से एक मैकेनिक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रामरतन (54) पुत्र जयनारायण सोनी निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गोवर्धन विलास जो सुखेर थाने से सौ मीटर आगे अपना गैराज चलाता है। बुधवार देर शाम को डम्पर ने टक्कर मार दी, जिससे मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हैड कांस्टेबल सोहन सिंह ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

दो बाईकों की टक्कर में महिला की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के परसाद थाना क्षेत्र में अपने भतीजे के साथ जा रही एक विवाहिता की दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलकीबाई (40) पत्नी शंकर मीणा निवासी भोराई सेमारी अपने भतीजे गोविंद (19) पुत्र नाथूलाल मीणा के साथ मोटर साइकिल पर जाते समय उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर बारां के निकट पिछे से आ रही दूसरी मोटर साइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। हेड कांस्टेबल रणजीत कुमार ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करापरिजनोंकोसौंपदिया।

आपसी विवाद में महिला और बेटी पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर एक महिला और उसकी पुत्री पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कूकाराम पुत्र रामाजी गमेती निवासी कालीवास अलोईकाड फलां नाई ने मामला दर्ज करवाया कि 28 नवम्बर दिन में 4 बजे अपने खेत पर गया हुआ था। उसकी पत्नी धन्नीबाई उसकी पुत्री राजू व फत्तु दोनो घर पर ही थे। तीनो जने बकरी व गाय बांधने के लिए पास ही मे बाड़े मे गए जो गाय व बकरी बाडे मे बांध कर वापस घर आ रहे थे कि उनको रास्ते मे जाते हुए रोक कर राजू पुत्र सेना ने फत्तु के साथ लट्ठ से मारपीट शुरू कर दी। उसकी पत्नी धन्नीबाई उसके छुडाने बीच मे गई तो उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोंट आई। उसकी पुत्री राजू ने भी बीच-बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट करने मे मांगीलाल पुत्र रोडा भी था। उसने भी धन्नी व फत्तु के साथ मारपीट की थी। इस दौरान आस-पास के लोग एकत्रित हो गए, जिससे आरोपी भाग गए। परिजन इन दोनों को एमबी चिकित्सालय में लेकर गए, जहां पर भर्ती करवाया गया। इस दौरान धन्नी के नांक का कांटा और कान की बालियां गिर गई।

गेहूँ का बीज ले जा रहे युवक की दुर्घटना में मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सविना थाना क्षेत्र में गेहूँ का बीज ले जा रहे एक युवक की दुर्घटना में उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार महेन्द्र सिंह (28) पुत्र कल्याण सिंह निवासी मूणवास सुखेर जो बिलिया में गेहूँ का बीज लेने के लिए आया था और बीज लेकर पुन: जा रहा था। इस दौरान इसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे एक निजी चिकित्सालय लेकर गए, जहां से एमबी चिकित्सालय उदयपुर रैफर कर दिया गया। जहां पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

हत्या के मामले में चित्तौड़ से फरार हिस्ट्रीशीटर साथी के साथ गिरफ्तार

दोनों से पिस्टल, कारतूस, गुप्ती व चाकू बरामद

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर की सविना थाना पुलिस ने चित्तौड़ में हत्या के मामले में फरार चल रहे एक युवक व उसके साथी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस व दूसरे से एक चाकू व एक गुप्ती बरामद की है। आरोपी हथियार तस्कर है और पूर्व में भी एक हथियार बेच चुका है।

थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि सूचना मिली कि दो युवक संदिग्ध रूप से घूम रहे है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकता है। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई जोरावरसिंह, हैड कांस्टेबल रामस्वरूप, कांस्टेबल खरताराम, विजयसिंह, मनोज, राजकुमार जाखड़ ने सविना चौराहा होते हुए वीआईपी कॉलोनी पहुँचे, जहां पर पुलिस ने नाकांदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान रेल्वे पुलिया होते दो युवक पैदल-पैदल आ रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों युवक पुन: मुडकर जाने लगे। जिनका पीछा कर पकड़ा तो उन्होंने अपना नाम श्रीराम उर्फ रवि उर्फ किंगसा पुत्र सुरेशचन्द्र दमामी निवासी गहलोतो का मौहल्ला मंगरोप भीलवाडा व दूसरे ने सोनूसिंह उर्फ सुखा पुत्र पिता भैरूसिंह गौड निवासी खातीखेडा मंगरोप भीलवाडा होना बताया। दोनों की तलाशी ली तो श्रीराम उर्फ रवि उर्फ किंगसा दमामी के पास से एक लोडेड पिस्टल मिली। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह पिस्टल व कारतूस मनीष पुत्र भैरूलाल जाट निवासी सोला का खेड़ा मंगरोप भीलवाडा से खरीदकर लाया है। साथ ही बताया कि एक देशी कट्टा संदीप आचार्य निवासी सुरास बडिलियास के पास हैं, जिससे खरीद कर लाया था उसे उसने किशन सैन निवासी सदर बाजार हमीरगढ भीलवाडा को बेच दी हैं है। दूसरे लडके सोनूसिंह उर्फ सुखा के पास से एक गुप्ती व एक चाकू मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि श्रीराम उर्फ रवि उर्फ किंगसा दमामी जो चित्तौड़ के सदर थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में फरार चल रहा है। आरोपी मंगरोप थाने का हिस्ट्रीशीटर है और इसके खिलाफ कई प्रकरण चल रहे है।

मुम्बई से शादी में आए परिवार की कार का कांच फोड़कर नकदी और दस्तावेज चोरी

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के फतहनगर थाना क्षेत्र में मुम्बई से फतहनगर आए एक परिवार की कार का कांच फोड़कर दो युवक नकदी, मकान की चाबियों सहित दस्तावेजों से भरा बैग चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार परसाद मोहन गुप्ते पुत्र मोहन मनोहर गुप्ते निवासी सिद्धार्थ एवीन्यु फ्लेट 303 पालघर महाराष्ट्र ने मामला दर्ज करवाया कि 28 नवम्बर को समय वह अपने परिवार वाले मुम्बई से फतहनगर उत्सव होटल में शादी समारोह में आए। शाम को वे उत्सव होटल के बाहर उसकी कार खड़ी करके होटल में शादी में गए। रात्रि को करीब 8.30 बजे वापस कार के पास आए और देखा तो कार के पीछे का कांच फूटा था। कार में देखा तो कार से रेडीज कलर का बेग नही मिला, जिसमें करीब 50 हजार रूपए, पेन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, लोयर ऑरिजनल आईडी कार्ड, एमसीए आईडी कार्ड, पोस्ट आफिस की चैक बुक व मकान के तालों की चाबियां का दो सेट भी गायब थे। इसके साथ ही दो फोन भी गायब थे। होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक किया तो पता चला कि होटल पर दो लडके आए, एक का नाम ओमसिंह चुण्डावत पुत्र बागसिह चुण्डावत व दुसरे का नाम प्रहलादसिंह पुत्र भगवतसिह निवासी चुण्डावतखेड़ी आकर उसकी कार के पास आकर रूके थे। पीड़ित ने शंका के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

मकान का ताला तोड़कर 13 तोला सोने के जेवरात और नकदी चोरी

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में मयंक बेनीवाल पुत्र नरेन्द्रसिंह जाट निवासी दिपलाना नोहर हनुमानगढ हाल किराए आशीर्वाद नगर स्वरुपसागर रोड सुखेर ने मामला दर्ज करवाया कि 9 नवम्बर से 21 नवम्बर के बीच वह परिवार सहित बाहर गया था और इसी बीच घर में अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर घर में घुस गए और चोरी कर ली। पड़ोसी ने मकान का दरवाजा खुला देखकर परिवार को सूचना दी, जिस पर वह परिवार सहित पुन: उदयपुर आया और घर पर जाकर देखा तो चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर अंदर से सारा सामान बिखेर 4 तोला वजनी सिंगार पट्टी, 1 तोला वजनी टीका, 5 बिन्टी 2 तोला, चुडिया 4-5 तोला, बालिया-झुमके 1 तोला कुल 13 तोला सोना और पायजेब 4 जोडी चांदी, हाथ के कंगन चांदी के और गणेश जी मूर्ति चांदी की और इसके साथ 70 हजार रूपए नकद चोरी कर ले गए। सूचना पर थाने से जाब्ता आया और मौका-मुआयना कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400059, भारत

शाखा कार्यालय : ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 10, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर- 313001

[नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से ऋणी (ओं) और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/ प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/ सह कर्जदारों के नाम/ गारंटर/ कानूनी वारिस ऋण खाता संख्या	ज्ञात ऋणभारों के साथ सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना धन जमा	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि और समय
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी
1.	इफ्तिखार अली अज़हरी (उधारकर्ता) इंतज़ार अली अजहोली (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता सं. LHUDP00001291045	प्लॉट नं. 33 व 34 पर मकान, खसरा नं. 385/1 भुवाली पंचायत पलवाड़ा में स्थित, तहसील डूंगरपुर, राजस्थान- 313803	रू. 35,90,019/- 22 नवम्बर 2023	रू. 28,09,800/- / रू. 2,80,980/-	11 दिसम्बर 2023 सुबह 11 से 3 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 दोप. 2 से 3 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टेक** की वेबसाइट **(URL Link-/https://BestAuction Deal.com)** पर आयोजित की जाएगी। गिरवी रखने वालों/नोटिस को **18 दिसम्बर 2023** को **शाम 5:00 बजे** से पहले कुल देय राशि को और ब्याज के साथ भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा। संभावित बोलीदाताओं को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई अनुसार) **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 10, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर- 313001 में 18 दिसम्बर 2023 को शाम 04:00 बजे** या उससे पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 10, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर-313001 में 18 दिसम्बर 2023 को शाम 05:00 बजे** या उससे पहले जमा करना होगा। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) **डूंगरपुर** में देय **"आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी"** के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से होना चाहिए। निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 022-69974300** पर या हमारे **सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्सएक्सन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.icicihfc.com/** देखें।

दिनांक : 01 दिसम्बर, 2023
स्थान : डूंगरपुर

अधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

RELIANCE Asset Reconstruction

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

रिलायंस सेन्टर, 11वीं मंजिल, नॉर्थ साइड, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063

सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस [नियम 8(6) के साथ पढ़ें नियम 6(2) देखें]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 (6) के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद् द्वारा आमतौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक / दृष्टिबंधक रखी गई निम्न वर्णित अचल/चल संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। कि. रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभिहस्तांकन समझौता दिनांक **29.03.2023** के तहत **आरएआरसी 080 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी)** के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ अपने अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ अपने ऋण खातों की वित्तीय परिसंपत्तियों / ऋणों को सौंपा है। उक्त अभिहस्तांकन के आधार पर, हम आपके प्रत्याभूत ऋणदाता बन गए हैं और कानूनी रूप से पूरे संविदात्मक बकाया की वसूली करने के हकदार हैं। इसलिए, रिलायंस एसेट रिकंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, आपको 15 दिनों की सूचना दी जाती है कि उल्लेखित बंधक संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड **आरएआरसी 080 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट** के ट्रस्टी के उल्लेखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ता से प्रत्याभूत ऋणदाता के बकाया लागत के लिए और मांग सूचना में उल्लेखित राशि की वसूली के लिए भविष्य के ब्याज सहित धारा 13 (2) के तहत जो है जहां है, जो है जैसी है., और' वहां जो कुछ है पर दिनांक **29.12.2023** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना धन जमा (ईएमडी) निम्न प्रकार है : **गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण :**

लॉट सं.	बंधककर्ता का नाम, सम्पत्ति का विवरण, माँग सूचना तथा कब्जा करने की तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी
1.	**यशपाल पारसकुमार पुत्र पारस कुमार** निवासी देना बैंक के पास मु. पोस्ट परसाद तह. सराड़ा उदयपुर राजस्थान- 313801 **इसके अलावा:** पट्टा संख्या 9, ग्राम पंचायत-परसाद पंचायत सामली सराड़ा उदयपुर राजस्थान-313801 **इसके अलावा :** पद्मावती मोबाइल देना बैंक के पास, मु. पोस्ट परसाद तह. सराड़ा उदयपुर राजस्थान-313801, **संजीव कुमार जैन पुत्र पारस कुमार जैन** निवासी देना बैंक के पास मु. पोस्ट परसाद तह. सराड़ा उदयपुर राजस्थान-313801 **इसके अलावा:** पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक देना बैंक के पास, मु. पोस्ट परसाद तह. सराड़ा उदयपुर राजस्थान- 313801, **पारस कुमार जैन पुत्र भूरी लाल जैन** निवासी 49 परसाद परसाद उदयपुर राजस्थान-313801 एवं **कांता देवी पत्नी पारस कुमार** उदयपुर राजस्थान- 313801 **संपत्ति :** संपत्ति के सभी पार्सल व टुकड़े आवासीय मकान संख्या शून्य 417 वर्ग. यार्ड रेव. ग्राम परसाद, सराड़ा, उदयपुर, राजस्थान में स्थित है और **सीमाएं** उत्तर: जमनालाल पुत्र श्री दीपचंद का घर, दक्षिण: रोड, पूर्व : गांव रोड, पश्चिम: स्वयं का बाड़ा। **मांग नोटिस:** रूपये 12,08,889/- (रूपये बारह लाख आठ हजार आठ सौ नव्वासी मात्र) 10.09.2021 को और भविष्य के ब्याज और लागत **कब्जे की तिथि :** 24.03.2023	₹ 22,67,482/- ₹ 2,26,748/-

संपत्ति का निरीक्षण	:	**22.12.2023 को प्रात : 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक**
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	:	**26.12.2023 को दोपहर 3.00 बजे तक**
ई-नीलामी की तिथि	:	**29.12.2023 प्रात : 11.00 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट के विस्तार के साथ**

बिक्री के नियम और शर्तें : 1. संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी और बिक्री एक सुरक्षित लेनदार के रूप में आरएआरसी द्वारा पुष्टि के अधीन है। 2. ई-नीलामी मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68 गुडगांव हरियाणा पिन कोड 122003 पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 3. ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, इच्छुक बोलीदाताओं को एक वैध ई-मेल आईडी रखनी चाहिए और पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करें। 4. संभावित बोलीकर्ता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (संपर्क व्यक्ति : श्री विनोद चौहान मोबाइल +91 9813887931, Delhi@c1india.comor Support@bankeauctions.com (हेल्पलाइन नंबर 7291981124,25,26)।** 5. आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) होगी, धन हस्तांतरण चालू खाता संख्या 122505002146 में जमा किया करें। बैंक का नाम : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा: वीरा देसाई शाखा मुंबई, 400058, आरएआरसी 080 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट, आईएफएससी कोड : ICIC0001225. कृपया ध्यान दें कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6. आरक्षित मूल्य से कम और/या ईएमडी राशि के बिना बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता प्रति लॉट 5000 रूपये के गुणक में अपनी आगे की बोली राशि में सुधार कर सकते हैं। 7. सफल बोलीदाता सफल बोलीदाता की घोषणा के तुरंत बाद बोली राशि/बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का 25% जमा कराएं। सफल बोलीदाता सफल बोलीदाता की घोषणा की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि/बिक्री मूल्य का शेष 75% जमा कराएं। 8. यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य को स्टा के रूप में जमा करने में विफल रहता है ऊपर बताया गया है, ईएमडी सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। 9. सात दिनों के भीतर ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए। 12. बोलीदाताओं को संपत्ति पर प्रभार/भार/सांविधिक बकायों के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद शुल्क, संपत्ति पर भार और किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा। 13. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी को इस सूचना की तिथि तक संपत्तियों पर किसी भी भार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 14. संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क सहित संपत्ति पर कोई भी बकाया, बकाया, कर, वैट, टीडीएस, जीएसटी, शुल्क, चाहे वैधानिक हो या अन्यथा, केवल केता द्वारा वहन किया जाएगा।

अन्य किसी जानकारी के लिए कृपया 18001039711/18602664111/18003099711 पर संपर्क किया जा सकता है।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) वैधानिक 15 दिनों के नोटिस के तहत

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को ई-नीलामी से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्ति की ई-नीलामी होगी और शेष बकाया यदि कोई हो तो ब्याज/लागत सहित वसूल किया जाएगा। नीलामी के लिए निर्धारित तिथि पर नीलामी बिक्री में कोई बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, सुरक्षित ऋणदाता इस संपत्ति को निजी संधि के माध्यम से किसी भी संभावित खरीदार को ऊपर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर या उससे ऊपर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं से आह्वान किया जाता है कि **वे गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा लेने के समय तैयार किए गए पंचनामा/इन्वेंटरी रिपोर्ट के अनुसार सभी घरेलू सामान/व्यक्ति गत सामान, यदि कोई है, को वापस ली गई संपत्ति में स्थानांतरित/हटा दें।** इस नोटिस की तारीख से 7 (सात) दिन। इस नोटिस की तारीख से 7 (सात) दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर घरेलू सामान/व्यक्ति गत सामान को स्थानांतरित करने में विफलता पर, कंपनी 'जैसा है जहां है, जैसा है' के आधार पर इसे हटाने/स्थानांतरित/निपटान करने के लिए बाध्य होगी। और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के जोखिम, उत्तरदायित्व और लागत पर जो भी आधार हो। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी दावे के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

स्थान : उदयपुर, दिनांक : 01.12.2023

प्राधिकृत अधिकारी-
रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए

नोट : सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की गई राशि यदि कोई हो, वसूली/निपटान के समय देय देय राशि का पता लगाने के लिए गणना की जाएगी।

आईजी ने मंडफिया थानाधिकारी को किया सस्पेंड

एनडीपीएस केस में एक झूठा फंसाया और शिकायत पर जांच में हुआ खुलासा

उदयपुर. नगर संवाददाता | उदयपुर रेंज आईजी अजय लांबा ने चित्तौड़गढ़ के मंडफिया थानाधिकारी यशवंत सोलंकी को एक व्यक्ति को मादक पदार्थ परिवहन के आरोपों में झूठा फंसाने पर सस्पेंड किया है। शिकायत मिलने पर आईजी अजय पाल लांबा ने इसकी जांच करवाई और जांच में सामने आने पर यह आदेश जारी किए।

जानकारी के अनुसार मंडफिया थानाधिकारी यशवंत सोलंकी को 27 अक्टूबर 2023 को मुखबिर की सूचना मिली कि एक टैंपों में मक्की के कट्टों की आड़ में मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स को सप्लाई के लिए ले जाया है। इस पर थानाधिकारी यशवंत सोलंकी ने 1 किलो 319 ग्राम एमडी ड्रग को जब्त कर मंगलवाड़ निवासी भंवरलाल पुत्र हीरालाल खटीक को गिरफ्तार किया था। इसकी जांच भदेसर थानाधिकारी को सौंपी गई थी। वहीं दूसरी ओर भंवरलाल के परिजनों ने एसपी और उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लाम्बा को यह शिकायत की थी कि भंवरलाल को इस केस में झूठा फंसाया गया है। इसको लेकर आईजी को परिवाद भी सौंपा। इसके बाद आईजी लाम्बा ने इस मामले में जांच करवाई। जांच में थानाधिकारी यशवंत सोलंकी की भंवरलाल खटीक के रिश्तेदार और हिस्ट्रीशीटर पोखर खटीक से मिलीभगत सामने आई। जिसके बाई आईजी ने कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी को सस्पेंड कर दिया।

पूर्व में लग चुके है तस्करों से पैसे लेने के आरोप

यशवंत सोलंकी पूर्व में उदयपुर के सायरा थानाधिकारी रहे थे। वर्ष 2019 को एनडीपीएस के ही एक अन्य मामले में थानाधिकारी ने तस्कर से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद सोलंकी के खिलाफ एसपी को शिकायत गई थी। तब 18 लाख रूपए लेकर आरोपी को छोड़ने के आरोप प्रमाणित पाए गए थे। तब जांच के आधार पर आईजी उदयपुर ने 2021 को सोलंकी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के अवरूद्ध करने के आदेश दिए थे। इसके बाद थानाधिकारी ने आईजी के आदेश के खिलाफ डीजीपी के यहां अपील की थी। अपील पर डीजीपी ने 12 अगस्त 2021 को 30 सीसीए नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जवाब संतुष्टजनक नहीं होने पर अपील खारिज दी थी। फिर देय वेतनमान को कम करते हुए सब इंस्पेक्टर पद के न्यूनतम वेतनमान पर 5 साल के लिए स्थित रखने के आदेश दिए थे।